1.

ऑन लाईन नं. GCMS 2024/142

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 40/2024

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह — (विक्रेता व मालिक)—
   निवासी कलर खेड़ा, खुईयां सरवर, फाजिल्का, पंजाब।
   मै.—हाल लाली डेयरी फार्म, उदाराम चौक रोड व पास में, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय दिनांकः 02.06.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन क्रमांक संख्या प.5 (01) चिरया/ग्रुप—3/ई—5095/2024 दिनांक 28.06.2024 द्वारा अधिसूचित किया है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश पत्र क्रमांक—आयुक्ता/संस्था./2024/1211 दिनांक 08.07.2024 और संशोधित आदेश पत्र क्रमांक आयुक्ता/संस्था/2024/1225 दिनांक 09.07.2024 द्वारा किया गया है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.05.2024 को समय 09:15 ए.एम. बजे को **मैसर्स लाडी डेयरी फार्म, उदाराम चौक रोड व पास में, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** पर पहुँचे, मौके **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक)** निवासी कलर खेड़ा, खुईयां सरवर तहसील — फाजिल्का (पंजाब) को अपना परिचय देकर संस्थान पर फ्रिज के अन्दर चार केनों के अन्दर खाद्य पदार्थ **दही** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने फ्रिज के अन्दर चार केनों के अन्दर के अन्दर रखे खाद्य पदार्थ 60 किलोग्राम **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** को आमजन में विक्रय वास्ते होना बताया। इसी खाद्य पदार्थ **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** मे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जाँच वास्ते खाद्य पदार्थ **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर देते हुऐ वयक्त की, मौके पर ही विकेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दिया। फार्म न 5ए न्यायनिर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियों तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ फिज के अन्दर चार केनों के अन्दर में से, एक केन के अन्दर से जिसमें 15 किलोग्राम **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** था जिसमे से समरुप कर **800 ग्राम दही (लूज)** को सुखे व साफ सुथरे बर्तन में विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** का नगद भुगतान 40 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर हैं और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अति0 जिला कलैक्टर (प्रशासन),
श्रीगंगानगर (राज.)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** को ...रूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 16 ... बूंदे डालकर कराकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेवल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर **के–2338** दर्ज किया। प्रत्येक लेवल पर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप न **के–2338** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना गाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबरकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। चारों नगूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्तक पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./698/Act/2024/698 Dated 31.05.2024 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-2338 Substandard Food** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक) निवासी कलर खेड़ा, खुईयां सरवर तहसील – फाजिल्का (पंजाब), मैसर्स लाडी डेयरी फार्म, उदाराम चौक रोड व पास में, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** द्वारा अमानक स्तर **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 01.10. 2024 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्तगण ने अपने जवाब में कथन किया कि निवेदन है कि प्रार्थी गांव कल्लरखेड़ तह. अबोहर, जिला फाजिल्का का रहने वाला है तथा प्रार्थी की फर्म मैसर्स लाडी डेयरी फार्म दुकान उदाराम चौक रोड के पास में पुरानी आबादी, जिला श्री गंगानगर का मालिक है तथा प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र क्रमांक 107/24 दिनांक 20.01.2025 का दिया है कि आपकी दुकान मे दही टोण्ड मिल्क निर्मित की जांच की गई तो दही substandard Food पाया गया है प्रार्थी ने उक्त दही मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण स० 40/2024 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **दही (टोण्ड मिल्क निर्मित)** का सैम्पल **K-2338** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./698/Act/2024/698 Dated 31.05.2024 **Substandard Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्तगण ने अपनी बहस में जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त दही मे सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौवारा नही करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। उक्त प्रकरण स० 40/2024 है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **Dahi** bearing code No. K-2338 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Sub-Standard Food as** it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक) निवासी कलर खेड़ा, खुईयां सरवर तहसील – फाजिल्का (पंजाब), मैसर्स लाडी डेयरी फार्म, उदाराम चौक रोड व पास में, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त **श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अजीत सिंह (विक्रेता व मालिक)** को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा०)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज०)